RNA : Real News Analysis

DAILY CURRENT AFFAIRS

UPSC, STATE PCS, SSC, RAILWAY, BANKING, DEFENCE,
और अन्य सभी सरकारी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण

DATE
अक्टूबर
29
2024

Key Point

1. National News
2. International News
3. Govt. Mission, Apps
4. Awards & Honours
5. Sports News
6. Economic News
7. Newly Appointment
8. Defence News
9. Important Days
10. Technology News
11. Obituary News
12. Books & Authors
13. Index

By Ankit Avasthi Sir

कर्मयोगी सप्ताह और मिशन कर्मयोगी / Karmayogi Saptah and Mission Karmayogi

भारत की सिविल सेवाओं को आधुनिक बनाने की ऐतिहासिक पहल के अंतर्गत, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने **19 अक्टूबर 2024** को नई दिल्ली में डॉ. अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय केंद्र में "कर्मयोगी सप्ताह" का उद्घाटन किया। यह सप्ताह निरंतर सीखने और क्षमता निर्माण की संस्कृति को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से आयोजित किया गया है, जिससे सिविल सेवकों को प्रेरित और सक्रिय किया जा सके।

कार्यक्रम का उद्देश्य:

- **सिविल सेवकों का संरेखण**: कार्यक्रम का उद्देश्य सिविल सेवकों को राष्ट्रीय लक्ष्यों और सेवा मिशनों के साथ संरेखित करना है।
- **निरंतर क्षमता निर्माण**: विभिन्न मंत्रालयों और क्षेत्रों में निरंतर क्षमता निर्माण को प्रोत्साहित करना।
- **सुसंगत शिक्षण पारिस्थितिकी तंत्र**: सक्रिय भागीदारी और चिंतन के साथ एक सुसंगत शिक्षण पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करना।

प्रमुख जानकारी:

- **तारीख**: कर्मयोगी सप्ताह **19 से 25 अक्टूबर 2024** तक चलने वाला था, लेकिन इसे **27 अक्टूबर 2024** तक बढ़ा दिया गया।
- **प्रतिभागिता**: हर प्रतिभागी को इस सप्ताह में कम से कम **4 घंटे की योग्यता-संबंधी शिक्षा** के लिए प्रतिबद्ध होना है।

शिक्षा के स्वरूप:

1. **iGOT पाठ्यक्रम**: iGOT प्लेटफ़ॉर्म पर अनुशंसित पाठ्यक्रमों को पूरा करना।
2. **दैनिक वेबिनार**: व्यावहारिक व्याख्यान और नीति मास्टरक्लास का आयोजन।
3. **एमडीओ-विशिष्ट कार्यक्रम**: आईजीओटी और आंतरिक सेमिनारों के माध्यम से मंत्रालयवार शिक्षण सत्रों में भाग लेना।

मिशन कर्मयोगी के चार संकल्प: विकास, गर्व, कर्तव्य, एकता

- हर सिविल सेवक को अपनी जिम्मेदारियों के अनुरूप पाठ्यक्रम चुनने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा, चाहे वह अनिवार्य शिक्षण सूची, भूमिका-विशिष्ट प्रशिक्षण, मंत्रालय द्वारा समर्थित विकल्प, या अपने व्यक्तिगत कौशल को बढ़ाने के लिए स्वयं-चयनित पाठ्यक्रम हों।

मिशन कर्मयोगी: राष्ट्रीय विकास के लिए योग्यता निर्माण

उद्देश्य: मिशन कर्मयोगी का मुख्य उद्देश्य सिविल सेवा अधिकारियों को उनकी योग्यता-आधारित क्षमता निर्माण यात्रा में मार्गदर्शन करने के लिए एक व्यापक ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म विकसित करना और बनाए रखना है। यह मिशन अधिकारियों को ऑनलाइन, आमने-सामने और मिश्रित शिक्षा के माध्यम से मार्गदर्शन प्रदान करेगा, साथ ही सामयिक मंचों पर चर्चाओं को भी सुविधाजनक बनाएगा।

प्रमुख तत्व:

- **शिक्षा के स्वरूप**: ऑनलाइन, आमने-सामने और मिश्रित शिक्षण के माध्यम से अधिकारियों की क्षमता निर्माण को सक्षम करना।
- **कैरियर पथ प्रबंधन**: अधिकारियों के कैरियर पथों का प्रबंधन और योग्यताओं का विश्वसनीय आकलन करना।
- **सामाजिक संवाद**: सामयिक मंचों के माध्यम से चर्चाओं को सुविधाजनक बनाना।

मिशन का दृष्टिकोण

मिशन कर्मयोगी एक **नियम-आधारित** से **भूमिका-आधारित** मानव संसाधन प्रबंधन प्रणाली की ओर बढ़ने का समर्थन करता है।

iGOT प्लेटफॉर्म: मिशन कर्मयोगी का डिजिटल आधार

iGOT (एकीकृत सरकारी ऑनलाइन प्रशिक्षण) प्लेटफॉर्म मिशन कर्मयोगी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो भारत में सिविल सेवकों के कौशल और ज्ञान विकास के लिए एक अभिनव ऑनलाइन संसाधन प्रदान करता है। इस प्लेटफॉर्म पर **1,400 से अधिक पाठ्यक्रम** उपलब्ध हैं, और **45 लाख से अधिक सरकारी कर्मचारी** पहले से ही पंजीकृत हैं। अब तक, इस प्लेटफॉर्म पर **1.6 करोड़ से अधिक पाठ्यक्रम** पूरे किए जा चुके हैं।

प्रमुख विशेषताएँ:

- **संरचित योग्यता ढांचा**: iGOT प्लेटफॉर्म प्रत्येक कर्मचारी की सीखने की यात्रा को ट्रैक करता है, जिससे उनके विकास की एक सुव्यवस्थित रूपरेखा बनती है।
- **पाठ्यक्रमों की वर्गीकरण**:
  - **सामान्य अनुशंसित पाठ्यक्रम**: सभी सिविल सेवकों के लिए डिज़ाइन किए गए पाठ्यक्रम, जैसे "विकसित भारत" और "जनभागीदारी"।
  - **भूमिका-आधारित शिक्षा**: विशेष पाठ्यक्रम जो नौकरी की भूमिकाओं के अनुसार तैयार किए जाते हैं और प्रमुख दक्षताओं के विकास पर ध्यान केंद्रित करते हैं।
  - **मंत्रालय द्वारा अनुशंसित पाठ्यक्रम**: प्रत्येक मंत्रालय अपनी वार्षिक क्षमता निर्माण योजना (ACBP) के अनुसार आवश्यक पाठ्यक्रमों की रूपरेखा तैयार करता है।
  - **स्व-चयनित पाठ्यक्रम**: अधिकारी अपनी व्यक्तिगत रुचियों और लक्ष्यों के आधार पर विषयों का चयन कर सकते हैं।

सम्मान के साथ मरने का अधिकार/ right to die with dignity

हाल ही में **स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय** ने सम्मानपूर्वक मरने के अधिकार पर **सुप्रीम कोर्ट** के **2018 और 2023** के आदेशों को लागू करने के लिए **मसौदा दिशा-निर्देश** जारी किए हैं। ये दिशा-निर्देश राज्य सरकारों और अस्पतालों को गंभीर रूप से बीमार मरीजों के लिए जीवन रक्षक प्रणाली हटाने के लिए एक रूपरेखा प्रदान करते हैं।

सम्मान के साथ मरने का अधिकार:

भारत में **सम्मानपूर्वक मरने का अधिकार** एक संवेदनशील और कानूनी रूप से महत्वपूर्ण अधिकार है, जो गंभीर बीमारियों से जूझ रहे मरीजों को चिकित्सा उपचार से मना करने या जीवन-रक्षक प्रणाली हटाने का विकल्प प्रदान करता है।

सम्मान के साथ मरने का अधिकार और सुप्रीम कोर्ट के दिशानिर्देश:

1. **सुप्रीम कोर्ट के निर्णय**:
    - **कॉमन कॉज बनाम यूनियन ऑफ इंडिया (2018)**: सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 21 के तहत सम्मान के साथ मरने के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता दी। इसे "लिविंग विल" या "अग्रिम निर्देश" के माध्यम से लागू किया जा सकता है।
    - **2023 का आदेश**: कोर्ट ने "लिविंग विल" प्रक्रिया को सरल और स्पष्ट बनाने के लिए नए दिशा-निर्देश जारी किए, जिससे मरीजों और अस्पतालों को एक सुव्यवस्थित रूपरेखा मिली।
2. **मसौदा दिशा-निर्देश (2024)**: स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा 2018 और 2023 के सुप्रीम कोर्ट आदेशों को लागू करने हेतु मसौदा दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। ये दिशानिर्देश राज्य सरकारों और अस्पतालों को गंभीर रोगियों के जीवन-रक्षक उपचार हटाने की प्रक्रिया पर मार्गदर्शन प्रदान करते हैं।

जीवन-रक्षक उपचार रोकने या वापस लेने की प्रक्रिया:

1. **रोगी की सहमति**: यदि रोगी निर्णय लेने में सक्षम है, तो वह जीवन-रक्षक उपचार से इनकार कर सकता है।
2. **अग्रिम निर्देश ("लिविंग विल")**: यदि रोगी भविष्य में चिकित्सा देखभाल संबंधी अपनी इच्छाएं पहले से लिखित में दे देता है, तो इसे सम्मान दिया जाता है।
3. **रोगी की निर्णय लेने की क्षमता न हो तो**: ऐसे मामलों में, प्राथमिक चिकित्सा बोर्ड और माध्यमिक चिकित्सा बोर्ड का गठन कर रोगी की स्थिति का आकलन किया जाता है। यदि उपचार से कोई लाभ नहीं होने की संभावना है और इससे केवल पीड़ा बढ़ रही है, तो चिकित्सक और परिवार की सहमति से जीवन-रक्षक उपचार वापस लेने का निर्णय लिया जा सकता है।

प्रक्रिया में संरचना और निगरानी:

1. **प्राथमिक चिकित्सा बोर्ड**: इसमें न्यूनतम पांच वर्ष के अनुभव वाले दो विषय-वस्तु विशेषज्ञ होते हैं जो उपचार रोकने की उपयुक्तता का निर्धारण करते हैं।
2. **माध्यमिक चिकित्सा बोर्ड**: इसके तहत, जिला मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा नियुक्त तीन विशेषज्ञ प्राथमिक बोर्ड के निर्णय की समीक्षा करते हैं।
3. **न्यायिक अधिसूचना**: जीवन-रक्षक उपचार रोकने के निर्णय पर स्थानीय न्यायिक मजिस्ट्रेट को सूचित करना आवश्यक है।

जीवन समर्थन, DNAR आदेश, और उपचार से इंकार करने का अधिकार:

- **"पुनर्जीवन का प्रयास न करें" (DNAR) आदेश:** मरीज या परिवार के अनुरोध पर पुनर्जीवन न करने का निर्णय लिया जा सकता है। यह जीवन-रक्षक उपचार न देने के आदेश का हिस्सा है, न कि सभी उपचार रोकने का।
- **सम्मानपूर्वक मरने का अधिकार और इच्छामृत्यु**: "इच्छामृत्यु" की जगह भारत में निष्क्रिय रूप से जीवन-रक्षक उपचार हटाने को मान्यता प्राप्त है। यह कानूनी ढांचा एक असाध्य रोगी की पीड़ा कम करने हेतु आवश्यक है।

लिविंग विल की प्रक्रिया:

- **लिविंग विल**: व्यक्ति अपनी इच्छाओं को लिखित में दो साक्षियों और एक राजपत्रित अधिकारी की उपस्थिति में दर्ज कर सकता है, जिसमें वह अपने मेडिकल निर्णयों के लिए प्रतिनिधियों का नामांकन करता है।
- **साझा निर्णय-प्रक्रिया**: यह प्रक्रिया परिवार और चिकित्सकों के बीच सहमति से होती है, जो कानूनी सुरक्षा प्रदान करती है और नैतिक मानकों को बनाए रखती है।

राष्ट्रीय पाण्डुलिपि मिशन (NMM) / National Mission for Manuscripts (NMM)

केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय ने **राष्ट्रीय पांडुलिपि मिशन (NMM)** को "**पुनर्जीवित और पुन: शुरू**" करने की योजना बनाई है। यह भारत में प्राचीन ग्रंथों के संरक्षण में मदद के लिए एक **स्वायत्त निकाय** के गठन पर विचार कर रहा है।

- वर्तमान में, NMM **इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र** का एक हिस्सा है।
- नए निकाय का नाम संभवत: **राष्ट्रीय पाण्डुलिपि प्राधिकरण** होगा, जो **पर्यटन एवं संस्कृति मंत्रालय** के अधीन एक **स्वायत्त इकाई** के रूप में कार्य करेगा।

राष्ट्रीय पाण्डुलिपि मिशन (NMM) के बारे में:

- **स्थापना**: NMM की स्थापना **फरवरी 2003** में भारत सरकार के **पर्यटन और संस्कृति मंत्रालय** द्वारा की गई थी।
- **अधिदेश**: इसका **अधिदेश** पांडुलिपियों में संरक्षित ज्ञान का **दस्तावेजीकरण**, **संरक्षण**, और **प्रसार** करना है।
- **आदर्श वाक्य**: "**भविष्य के लिए अतीत का संरक्षण**"।

भारत की पाण्डुलिपि संपदा:

- NMM का उद्देश्य भारत की विशाल पाण्डुलिपि संपदा का **पता लगाना** और उसे **संरक्षित** करना है।
- भारत में अनुमानत: **दस मिलियन पाण्डुलिपियाँ** हैं, जो संभवत: विश्व का **सबसे बड़ा संग्रह** हैं।
- इन पाण्डुलिपियों में विविध प्रकार के **विषय-वस्तु**, **बनावट**, **सौंदर्यशास्त्र**, **लिपियाँ**, **भाषाएँ**, **सुलेख**, **प्रकाश**, और **चित्रण** शामिल हैं।
- NMM के अनुसार, मौजूदा पांडुलिपियों में से **75% संस्कृत** में हैं, जबकि **25%** क्षेत्रीय भाषाओं में हैं।

मुख्य उद्देश्य:

- **राष्ट्रीय स्तर के सर्वेक्षण** और सर्वेक्षणोत्तर के माध्यम से पांडुलिपियों का **पता लगाना**।
- प्रत्येक पांडुलिपि और पांडुलिपि संग्रह का **दस्तावेजीकरण** करना, ताकि एक **राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक डाटाबेस** तैयार किया जा सके। इसमें वर्तमान में **चार मिलियन** पांडुलिपियों के बारे में जानकारी होगी, जिससे यह दुनिया में भारतीय पांडुलिपियों का **सबसे बड़ा डाटाबेस** बनेगा।
- **संरक्षण** के आधुनिक और **स्वदेशी तरीकों** को शामिल करते हुए पांडुलिपियों को संरक्षित करना तथा पांडुलिपि **संरक्षकों** की **नई पीढ़ी** को प्रशिक्षित करना।
- पाण्डुलिपि अध्ययन के विभिन्न पहलुओं जैसे **भाषा**, **लिपियों**, और **आलोचनात्मक संपादन** में अगली पीढ़ी के विद्वानों को प्रशिक्षित करना।
- **दुर्लभतम** एवं **संकटग्रस्त** पांडुलिपियों का **डिजिटलीकरण** करके पांडुलिपियों तक पहुंच को बढ़ावा देना।
- **अप्रकाशित पांडुलिपियों** और **कैटलॉग** के आलोचनात्मक संस्करणों के प्रकाशन के माध्यम से पांडुलिपियों तक पहुंच को बढ़ावा देना।

पाण्डुलिपि क्या है?

पांडुलिपि एक **हस्तलिखित रचना** है जो **कागज**, **छाल**, **कपड़े**, **धातु**, **ताड़ के पत्ते**, या अन्य सामग्री पर लिखी जाती है। यह कम से कम **पचहत्तर साल** पुरानी होती है और इसका महत्वपूर्ण **वैज्ञानिक**, **ऐतिहासिक**, या **सौंदर्यात्मक मूल्य** होता है।

- **लिथोग्राफ** और **मुद्रित संस्करण** पाण्डुलिपियाँ नहीं हैं।
- पांडुलिपियाँ सैकड़ों विभिन्न **भाषाओं** और **लिपियों** में पाई जाती हैं। एक ही भाषा को कई अलग-अलग लिपियों में लिखा जा सकता है। उदाहरण के लिए, **संस्कृत** को **उड़िया लिपि**, **ग्रंथ लिपि**, **देवनागरी लिपि**, और कई अन्य लिपियों में लिखा जा सकता है।
- पांडुलिपियाँ ऐतिहासिक अभिलेखों जैसे चट्टानों पर उत्कीर्ण **शिलालेख**, **फर्म अभिलेख**, और **राजस्व अभिलेखों** से भिन्न होती हैं, जो इतिहास में घटनाओं या प्रक्रियाओं के बारे में प्रत्यक्ष जानकारी प्रदान करती हैं।

21वीं पशुधन जनगणना / 21st Livestock Census

हाल ही में, केंद्रीय **मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री** ने नई दिल्ली में **21वीं पशुधन जनगणना** का शुभारंभ किया। यह जनगणना भारतीय पशुधन के बारे में महत्वपूर्ण आंकड़े एकत्रित करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है।

21वीं पशुधन जनगणना के बारे में:

- **पशुधन जनगणना** हर पांच साल में आयोजित की जाती है।
- इस जनगणना में **पालतू पशुओं**, **मुर्गियों** और **आवारा पशुओं** की संख्या की गणना की जाती है।
- गणना में **पशुओं की प्रजाति**, **नस्ल**, **आयु**, **लिंग**, और **स्वामित्व की स्थिति** के बारे में जानकारी एकत्र की जाती है।

पृष्ठभूमि:

- 1919 से अब तक कुल **20 पशुधन गणनाएं** की जा चुकी हैं, जिनमें से अंतिम गणना **2019** में की गई थी।
- **21वीं जनगणना** के लिए गणना प्रक्रिया **अक्टूबर 2024 से फरवरी 2025** के बीच होगी।

21वीं पशुधन जनगणना का फोकस:

पशुपालन एवं डेयरी विभाग के अनुसार, 21वीं जनगणना में **सोलह पशु प्रजातियों** की जानकारी एकत्र की जाएगी, जिनमें शामिल हैं:

- **मवेशी**, **भैंस**, **मिथुन**, **याक**, **भेड़**, **बकरी**, **सुअर**, **ऊँट**, **घोड़ा**, **टट्टू**, **खच्चर**, **गधा**, **कुत्ता**, **खरगोश**, **हाथी**

इस गणना में **आईसीएआर-राष्ट्रीय पशु आनुवंशिक संसाधन ब्यूरो (एनबीएजीआर)** द्वारा मान्यता प्राप्त **सोलह प्रजातियों** की **219 स्वदेशी नस्लों** के बारे में जानकारी एकत्र की जाएगी।

पोल्ट्री पक्षियों की गणना:

इसके अलावा, जनगणना में **मुर्गी, बत्तख, टर्की, गीज़, बटेर, शुतुरमुर्ग और इमू** जैसे पोल्ट्री पक्षियों की भी गणना की जाएगी।

डिजिटल प्रक्रिया:

इस बार की जनगणना **2019** की पिछली जनगणना की तरह पूरी तरह **डिजिटल** होगी। इसमें शामिल हैं:

- मोबाइल एप्लिकेशन के माध्यम से **ऑनलाइन डेटा संग्रह**।
- **डिजिटल डैशबोर्ड** के माध्यम से विभिन्न स्तरों पर निगरानी।
- डेटा संग्रह स्थान के अक्षांश और देशांतर को कैप्चर करना।
- सॉफ्टवेयर के माध्यम से **पशुधन जनगणना रिपोर्ट** तैयार करना।

नए डेटा बिंदु: 21वीं जनगणना में कई नए डेटा बिंदु शामिल किए जाएंगे, जिनमें शामिल हैं:

- **पशुपालकों और चरवाहों पर डेटा**: जनगणना में पहली बार पशुधन क्षेत्र में चरवाहों के योगदान, उनकी सामाजिक-आर्थिक स्थिति और पशुधन पर डेटा एकत्र किया जाएगा।
- **अधिक विवरण और विस्तृत जानकारी**: जनगणना से उन परिवारों का अनुपात पता चलेगा जिनकी मुख्य आय पशुधन क्षेत्र से आती है। इसमें आवारा पशुओं के लिंग के बारे में भी जानकारी होगी।

पशुपालन और डेयरी विभाग के बारे में:

- **गठन:** पशुपालन और डेयरी विभाग को 1 फरवरी 1991 को कृषि और सहकारिता विभाग के दो प्रभागों (पशुपालन और डेयरी विकास) को अलग करके स्थापित किया गया।
- **नाम परिवर्तन**: इसे पहले पशुपालन और डेयरी विभाग (एएचएंडडी) कहा जाता था, लेकिन अब इसका नाम पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन विभाग (डीएडीएफ) कर दिया गया है।
- **स्थान**: यह विभाग कृषि भवन, नई दिल्ली में स्थित है।
- **मंत्रालय:** मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय

मुख्य जिम्मेदारियाँ:

- **पशुधन उत्पादन**: पशुधन उत्पादन और सुरक्षा से संबंधित मामलों का प्रबंधन।
- **बीमारियों से सुरक्षा**: पशुओं की स्वास्थ्य देखभाल और सुरक्षा सुनिश्चित करना।
- **डेयरी विकास**: डेयरी उद्योग से जुड़े मामलों का विकास और संचालन करना।
- **नीतियों और कार्यक्रमों का विकास**: राज्य सरकारों को सलाह देना और सहयोग करना।

मुख्य क्षेत्र:

1. **बुनियादी ढांचे का विकास**: राज्यों में पशुपालन और डेयरी के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचे का निर्माण करना।
2. **स्वास्थ्य देखभाल**: पशुधन के लिए पर्याप्त स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं का प्रावधान करना।
3. **जर्मप्लाज्म का विकास**: केंद्रीय पशुधन फार्मों को मजबूत करना ताकि बेहतर जर्मप्लाज्म का विकास किया जा सके।

ग्रामीण भारत में 95 प्रतिशत भूमि अभिलेखों का डिजिटलीकरण / 95 percent of land records in rural India digitized

हाल ही में **केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान** ने कहा कि **2016** के बाद से **ग्रामीण भारत में लगभग 95 प्रतिशत भूमि** अभिलेखों का का डिजिटलीकरण किया गया है, जो ग्रामीण क्षेत्रों में सुरक्षित एवं सुलभ भूमि स्वामित्व सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रगति को दर्शाता है।

- **डिजिटलीकरण की उपलब्धि**: 2016 से अब तक 6.26 लाख से अधिक गांवों के भूमि रिकॉर्ड को डिजिटलीकृत किया गया है, जिससे ग्रामीण भारत में 95% भूमि अभिलेख डिजिटल रूप में उपलब्ध हैं।

भूमि अभिलेखों के डिजिटलीकरण का महत्व:

1. **पारंपरिक चुनौतियों का समाधान**:
   - **भूमि विवाद:** भारत में 60% से अधिक मुकदमे भूमि से संबंधित हैं, डिजिटलीकरण से विवादों का समाधान करना आसान होगा।
   - **अतिक्रमण और बेनामी संपत्ति:** यह समस्या कम होगी।
   - **मैनुअल प्रक्रियाएं:** डिजिटलीकरण से कार्यप्रणाली में दक्षता आएगी।
2. **सटीक सर्वेक्षण और योजना**: भू-स्थानिक मानचित्रण: पारदर्शिता में वृद्धि और कमजोर वर्गों के लिए बेहतर पहुंच सुनिश्चित करता है।
3. **कृषि को बढ़ावा देना**: स्पष्ट भूमि स्वामित्व से कृषि के लिए पूंजी और ऋण की उपलब्धता में आसानी होगी।
4. **अन्य लाभ**: कृषि इनपुट सब्सिडी का बेहतर लक्ष्यीकरण, समय पर मुआवजा और जीडीपी को बढ़ावा।

भूमि अभिलेखों के डिजिटलीकरण में समस्याएँ:

1. **बोझिल प्रक्रिया**: वर्तमान में भूमि अभिलेख अधूरे हैं और विभिन्न विभागों में फैले हुए हैं।
2. **धीमी प्रक्रिया**: बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में देरी हो रही है और आंकड़े पुराने हो रहे हैं।
3. **कानूनी और प्रशासनिक सुधार**: किरायेदारी कानूनों और भूमि उपयोग विनियमों को अद्यतन करना आवश्यक है।

आगे की राह :

- **नवीन तकनीकों का उपयोग**: भूमि प्रशासन में ब्लॉकचेन, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, और मशीन लर्निंग का उपयोग।
- **पंजीकरण अधिनियम की समीक्षा**।

सरकारी पहलें:

1. **डिजिटल इंडिया भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम (DILRMP)**: एक आधुनिक और पारदर्शी भूमि अभिलेख प्रबंधन प्रणाली स्थापित करना।
2. **विशिष्ट भूमि पार्सल पहचान संख्या (ULPIN)**: प्रत्येक भूमि पार्सल के लिए 14 अंकों का अल्फ़ान्यूमेरिक कोड।
3. **राष्ट्रीय सामान्य दस्तावेज़ पंजीकरण प्रणाली (NGDRS)**: दस्तावेज़ पंजीकरण के लिए एक समान प्रक्रिया।
4. **स्वामित्व योजना**: ग्रामीण क्षेत्रों में घर मालिकों को 'अधिकारों का रिकॉर्ड' प्रदान करना।

भू -आधार (ULPIN) के बारे में:

- **परिभाषा**: भू-आधार, जिसे विशिष्ट भूमि पार्सल पहचान संख्या (ULPIN) के रूप में भी जाना जाता है, हर भूमि खंड को एक अद्वितीय पहचान संख्या प्रदान करता है।
- **लॉन्च**: इसे 2021 में केंद्र सरकार के **डिजिटल इंडिया भूमि रिकॉर्ड आधुनिकीकरण कार्यक्रम (DILRMP)** के तहत लॉन्च किया गया था।
- **उद्देश्य**: इसका मुख्य उद्देश्य भूमि भूखंडों को एक विशिष्ट पहचान संख्या प्रदान करने की प्रक्रिया को सुव्यवस्थित और एकरूप बनाना है, जिससे भूमि प्रबंधन में सुधार हो सके।

तकनीकी पहलू:

- **संपर्क**: ULPIN, भूमि क्षेत्र के **देशांतर** और **अक्षांश निर्देशांकों** के आधार पर प्रदान किया जाता है। यह विस्तृत सर्वेक्षणों और भू-संदर्भित भूकर मानचित्रों पर निर्भर करता है।
- **संरचना**:
  - प्रत्येक भूमि खंड को **14 अंकों** की अल्फा-न्यूमेरिक पहचान दी जाती है।
  - इसमें निम्नलिखित शामिल होते हैं:
    - **राज्य कोड**
    - **जिला कोड**
    - **उप-जिला कोड**
    - **गांव कोड**
    - **विशिष्ट प्लॉट आईडी नंबर**
- **स्थायित्व**: ULPIN एक बार तैयार होने के बाद, इसे भूमि मालिक के पास मौजूद भौतिक भूमि रिकॉर्ड दस्तावेज़ पर अंकित किया जाता है। यह यूएलपीआईएन भूमि के भूखंड से स्थायी रूप से जुड़ा रहेगा, चाहे भूमि हस्तांतरित हो, उप-विभाजित हो या उसमें कोई बदलाव हो।

पर्यावरण जहाज़ सूचकांक (ESI) / Environmental Shipping Index (ESI)

हाल ही में हरित श्रेय कार्यक्रम के तहत **पर्यावरण जहाज़ सूचकांक (ESI)** में सूचीबद्ध पहला भारतीय पत्तन बना है, जिसे अंतर्राष्ट्रीय पत्तन एवं पत्तन संघ (IAPH) द्वारा मान्यता प्राप्त हुई है। यह उपलब्धि न केवल गोवा के लिए, बल्कि भारत के लिए भी एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है।

पर्यावरण जहाज़ सूचकांक (ESI) क्या है?

परिचय:

- **ESI** एक ऐसी प्रणाली है जिसे समुद्री जहाज़ों के पर्यावरणीय प्रदर्शन के मूल्यांकन और उन्हें पुरस्कार देने के लिए डिज़ाइन किया गया है।
- यह उन जहाज़ों की पहचान करता है जो **अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन (IMO)** के मौजूदा उत्सर्जन मानकों के मुकाबले वायु उत्सर्जन को कम करने में बेहतर प्रदर्शन करते हैं।

IMO की 2023 की ग्रीनहाउस गैस (GHG) रणनीति: IMO की रणनीति के अनुसार, वर्ष 2030 तक अंतर्राष्ट्रीय शिपिंग की कार्बन तीव्रता में कम से कम 40% की कमी लाने का लक्ष्य रखा गया है।

ESI की उत्पत्ति: ESI पहल 1 जनवरी 2011 को शुरू हुई और इसका डेटाबेस **IAPH** के प्रशासन के अधीन है।

मूल्यांकन मानदंड:

- ESI में जहाज़ों द्वारा उत्सर्जित **नाइट्रोजन ऑक्साइड (NOx)** और **सल्फर ऑक्साइड (SOx)** का आकलन किया जाता है।
- यह ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन के संदर्भ में एक रिपोर्टिंग योजना भी शामिल करता है।

ESI की मुख्य विशेषताएँ:

1. **पत्तन-केंद्रित प्रणाली**: यह एक पत्तन से पत्तन तक की प्रणाली है, जो विशेष रूप से पोर्ट ऑपरेशनों के लिए डिज़ाइन की गई है।
2. **स्वैच्छिक भागीदारी**: इसमें जहाज़ मालिकों को स्वैच्छिक आधार पर अपने जहाज़ों के पर्यावरणीय प्रदर्शन को प्रदर्शित करने की अनुमति है।
3. **प्रयोज्यता**: यह प्रणाली सभी प्रकार के समुद्री जहाज़ों पर प्रभावी हो सकती है, चाहे उनका आकार या कार्य कुछ भी हो।
4. **स्वचालित गणना**: ESI की गणना और रखरखाव स्वचालित रूप से किया जाता है, जिससे डेटा की सटीकता सुनिश्चित होती है।
5. **प्रोत्साहन**: उच्च ESI स्कोर वाले जहाज़ों को पत्तन और प्राधिकृत निकायों द्वारा कम पत्तन शुल्क या प्राथमिकता बर्थिंग जैसे प्रोत्साहन प्रदान किए जा सकते हैं।

निष्कर्ष: मोरमुगाओ पत्तन प्राधिकरण का ESI में सूचीबद्ध होना भारत के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है, जो समुद्री परिवहन में पर्यावरण के प्रति जागरूकता और समर्पण को दर्शाता है। यह अन्य पत्तनों को भी प्रेरित करेगा कि वे अपने पर्यावरणीय प्रभाव को कम करने के लिए कदम उठाएं।

ESI
ENVIRONMENTAL SHIP INDEX

मोरमुगाओ पत्तन प्राधिकरण (MPA)

- **स्थापना**: मोरमुगाओ पत्तन की स्थापना **1888** में हुई थी।
- **खनन उद्योग**: यह गोवा में खनन के प्रमुख उद्योग के रूप में उभरा, विशेषकर लौह अयस्क के निर्यात के लिए एक महत्वपूर्ण टर्मिनल के रूप में विकसित हुआ।
- **1964 में पदनाम**: मोरमुगाओ पत्तन को **1964** में एक प्रमुख पत्तन घोषित किया गया।
- **लौह अयस्क पारगमन**: विशेष रूप से औद्योगिक पुनर्निर्माण के दौरान जापान की मांग के कारण लौह अयस्क के पारगमन में वृद्धि ने इसके विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
- **1965 में परिप्रेक्ष्य योजना**: लौह अयस्क बाजार में **ब्राज़ील** और **ऑस्ट्रेलिया** के साथ प्रतिस्पर्धा को देखते हुए और गहरे जल तक पहुंच एवं उच्च क्षमता वाली लोडिंग की आवश्यकता को समझते हुए, मोरमुगाओ पत्तन को विकसित करने के लिए एक परिप्रेक्ष्य योजना की शुरुआत की गई।
- **हरित श्रेय कार्यक्रम**:
  - अक्टूबर **2023** में हरित श्रेय कार्यक्रम की शुरुआत की गई।
  - इस कार्यक्रम के तहत, उन जहाज़ों को पत्तन शुल्क में छूट प्रदान की जाती है जो हरित ईंधन का उपयोग करते हैं और जिनसे नाइट्रोजन ऑक्साइड तथा सल्फर ऑक्साइड का उत्सर्जन नहीं होता।

साइबरस्क्वाटिंग क्या हैं?
What is Cybersquatting?

हाल ही में, दिल्ली स्थित एक डेवलपर ने **'जियोहॉटस्टार'** डोमेन पंजीकृत कराया, जिससे **साइबरस्क्वाटिंग** पर बहस छिड़ गई।

साइबरस्क्वाटिंग के बारे में:

साइबरस्क्वाटिंग उस प्रक्रिया को संदर्भित करता है जिसमें कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति के ट्रेडमार्क, कॉर्पोरेट या व्यक्तिगत नाम से लाभ कमाने के लिए डोमेन नाम को पंजीकृत करता है या उसका उपयोग करता है। यह प्रथा आमतौर पर **जबरन वसूली** या **व्यापार हड़पने के प्रयास** के रूप में देखी जाती है।

साइबरस्क्वाटिंग के प्रकार:

1. **टाइपोस्क्वैटिंग**:
   - इसमें प्रसिद्ध ब्रांडों के नामों में टाइपोलॉजिकल त्रुटियों के साथ डोमेन खरीदे जाते हैं।
   - **उदाहरण: yajoo.com, facebok.com**।
   - **उद्देश्य:** लक्षित दर्शकों को भ्रमित करना, जब वे डोमेन नाम की गलत वर्तनी करते हैं।
2. **पहचान की चोरी**:
   - इस प्रकार में लक्षित उपभोक्ता को भ्रमित करने के इरादे से पहले से मौजूद ब्रांड की वेबसाइट की नकल की जाती है।
3. **नेम जैकिंग**:
   - इसमें साइबरस्पेस में किसी प्रसिद्ध नाम या सेलिब्रिटी का प्रतिरूपण करना शामिल है।
   - उदाहरण: किसी सेलिब्रिटी के नाम से नकली वेबसाइट या सोशल मीडिया अकाउंट बनाना।
4. **रिवर्स साइबरस्क्वाटिंग**:
   - यह एक ऐसी घटना है जिसमें कोई व्यक्ति किसी ट्रेडमार्क को अपना बताकर उस पर झूठा दावा करता है और डोमेन के मालिक पर साइबरस्क्वाटिंग का झूठा आरोप लगाता है।
   - यह कृत्य साइबरस्क्वाटिंग के विपरीत है।

भारत में कानूनी स्थिति:

- भारत में **साइबरस्क्वाटिंग** के खिलाफ कोई विशिष्ट कानून नहीं हैं। हालांकि, डोमेन नामों को **ट्रेडमार्क अधिनियम, 1999** के तहत ट्रेडमार्क माना जाता है।
- इसलिए, यदि कोई व्यक्ति समान या समान डोमेन नाम का उपयोग करना शुरू करता है, तो उसे ट्रेडमार्क अधिनियम, 1999 की धारा 29 के तहत वर्णित **ट्रेडमार्क उल्लंघन** के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है।

भारतीय राज्यों में न्यूनतम आहार विविधता विफलता (MDDF)
Minimum Dietary Diversity Failure (MDDF) in Indian States

हाल ही में, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान द्वारा प्रकाशित एक रिपोर्ट नेशनल मेडिकल जर्नल ऑफ इंडिया में प्रकाशित हुई है, जिसमें **न्यूनतम आहार विविधता विफलता** (MDDF) पर ध्यान केंद्रित करती है।

न्यूनतम आहार विविधता:

न्यूनतम आहार विविधता एक विश्वसनीय संकेतक है, जिसे विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) द्वारा अनुमोदित किया गया है। यह बच्चों के लिए विविध खाद्य समूहों और आवश्यक सूक्ष्म पोषक तत्वों की उपलब्धता और उपभोग को दर्शाता है। डब्ल्यूएचओ के अनुसार, पोषण संबंधी कारक लगभग **35 प्रतिशत** बाल मृत्यु का कारण बनते हैं और वैश्विक स्तर पर कुल रोग भार में **11 प्रतिशत** का योगदान करते हैं।

हालिया रिपोर्ट के मुख्य निष्कर्ष:

- **डेटा स्रोत**: वैज्ञानिकों ने **राष्ट्रीय परिवार एवं स्वास्थ्य सर्वेक्षण** (NFHS) के राउंड 3, 4 और 5 के डेटासेट का उपयोग किया।
- **MDDF दर**: एनएफएचएस-3 (2005-06) में 87.4% से घटकर एनएफएचएस-5 (2019-21) में 77.1% हो गई।
- **MDDF का प्रचलन**: गिरावट के बावजूद, उत्तर, मध्य और पश्चिम भारत के आठ राज्यों में 6-23 महीने के बच्चों में 80% से अधिक MDDF है।

भारतीय राज्यों में MDDF:

- **सर्वाधिक MDDF**:
  - उत्तर प्रदेश (86.1%)
  - राजस्थान (85.1%)
  - गुजरात (84%)
  - महाराष्ट्र (81.9%)
  - मध्य प्रदेश (81.6%)

- **क्षेत्रीय रुझान**: 2019-21 तक, मध्य भारत में MDDF का प्रचलन **84.6%** था।
  - विश्लेषित 707 जिलों में से केवल 95 जिलों में MDDF का प्रचलन 60% से कम था, जो मुख्य रूप से दक्षिण, पूर्व, उत्तर-पूर्व और उत्तर में स्थित हैं।
- **आहार विविधता**: अंडे, विटामिन A युक्त खाद्य पदार्थ, सब्जियां और मांस खाद्य पदार्थों सहित आठ समूहों के अंतर्गत खाद्य पदार्थों की खपत NFHS-3 से NFHS-5 के बीच बढ़ी है।
- **लॉजिस्टिक मॉडलिंग** में पाया गया कि युवा, अशिक्षित माताओं, लड़कियों, गरीब परिवारों, एनीमिया से पीड़ित बच्चों, कम वजन वाले शिशुओं, और आंगनवाड़ी/ICDS केंद्रों पर नियमित स्वास्थ्य जांच न कराने वाले बच्चों में MDDF अधिक है।

भारत के वित्त मंत्री का वैश्विक दक्षिण के योगदान पर जोर
India's Finance Minister stresses on contribution of Global South

भारत के वित्त मंत्री ने हाल ही में बहुपक्षीय विकास बैंकों (MDB) को आकार देने में वैश्विक दक्षिण की महत्वपूर्ण भूमिका पर प्रकाश डाला। उन्होंने 1944 के **ब्रेटन वुड्स सम्मेलन** में वैश्विक दक्षिण के योगदान को रेखांकित किया, जिसके परिणामस्वरूप विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) की स्थापना हुई।

MDB में वैश्विक दक्षिण का योगदान:

1. **नए विकास बैंक और एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक** जैसी नई संस्थाओं की स्थापना की गई, जो वैश्विक दक्षिण की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए बनाई गई हैं।
2. **वित्तीय प्रतिबद्धताओं में वृद्धि**: भारत और चीन जैसे देशों ने आर्थिक विकास के साथ MDB के प्रति अपनी वित्तीय प्रतिबद्धताओं को बढ़ाया है।
3. **समावेशिता का समर्थन**: निर्णय लेने की प्रक्रियाओं में विविध आवाजों को शामिल करने पर जोर देते हुए, वैश्विक दक्षिण ने MDB सुधारों की वकालत की है।

वैश्विक दक्षिण के परिप्रेक्ष्य में MDB सुधारों की आवश्यकता:

1. **अपर्याप्त प्रतिनिधित्व**: IMF में 59.1% वोटिंग शेयर उन देशों के पास हैं, जो विश्व की जनसंख्या का केवल 13.7% प्रतिनिधित्व करते हैं।
2. **ऋण राहत की आवश्यकता**: लगभग 79 निम्न और मध्यम आय वाले देश वर्तमान में ऋण संकट का सामना कर रहे हैं।
3. **वैश्विक चुनौतियों का समाधान**: जलवायु परिवर्तन, महामारी, और आपूर्ति श्रृंखला व्यवधान जैसे मुद्दे वैश्विक दक्षिण को असमान रूप से प्रभावित करते हैं, जिसके लिए अतिरिक्त वित्तीय सहायता की आवश्यकता है।

MDB के लिए भारत की सिफारिशें:

1. **नवाचारों का दोतरफा आदान-प्रदान**: डिजिटल समावेशन और सतत ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में वैश्विक दक्षिण के अनुभवों से लाभ उठाते हुए नवाचारों को बढ़ावा देना।
2. **व्यापक भागीदारी को बढ़ावा**: मध्यम आय वाले देशों को अधिक उधार लेने के लिए प्रोत्साहित करना और विकास प्रभाव को गहरा करने के लिए प्रतिस्पर्धी मूल्य निर्धारण मॉडल अपनाना।
3. **साक्ष्य-आधारित दृष्टिकोण**: विश्वव्यापी गवर्नेंस संकेतक और नए बी-रेडी सूचकांक जैसे वैश्विक सूचकांक तैयार करते समय डेटा-संचालित दृष्टिकोण को अपनाना।

निष्कर्ष: भारत के वित्त मंत्री ने वैश्विक दक्षिण की भूमिका पर जोर देकर यह स्पष्ट किया है कि बहुपक्षीय विकास बैंकों में सुधार के लिए समावेशिता और विविधता की आवश्यकता है। इसके साथ ही, उन्होंने विकास वित्तपोषण की आवश्यकता को पूरा करने के लिए वैश्विक दक्षिण के अनुभवों का लाभ उठाने की आवश्यकता पर भी बल दिया।

डिजिटल अवसंरचना विकास पहल फ्रेमवर्क (डिजी फ्रेमवर्क)
Digital Infrastructure Development Initiative Framework (Digi Framework)

संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान और दक्षिण कोरिया ने एक नए ढांचे के शुभारंभ की घोषणा की, जो भारत में डिजिटल बुनियादी ढांचे का समर्थन करने के लिए भारतीय निजी क्षेत्र के साथ उनके सहयोग को आगे बढ़ाएगा।

- इस संबंध में अमेरिकी अंतर्राष्ट्रीय विकास वित्त निगम, जापान अंतर्राष्ट्रीय सहयोग बैंक (JBIC) और कोरिया के आयात-निर्यात बैंक (कोरिया एक्जिमबैंक) द्वारा घोषणा की गई।

उद्देश्य: डिजी फ्रेमवर्क का लक्ष्य साझा प्राथमिकताओं को आगे बढ़ाने के लिए भारत के साथ साझेदारी में अमेरिका, जापान, और कोरिया गणराज्य के बीच सहयोग को प्रोत्साहित करना है।

डिजी फ्रेमवर्क:

- **साझेदार एजेंसियां**:
  - अमेरिकी अंतर्राष्ट्रीय विकास वित्त निगम
  - जापान अंतर्राष्ट्रीय सहयोग बैंक (जेबीआईसी)
  - कोरिया का निर्यात-आयात बैंक (कोरिया एक्जिमबैंक)
- **उद्देश्य**: भारत में डिजिटल बुनियादी ढांचे का समर्थन करने के लिए भारतीय निजी क्षेत्र के साथ सहयोग को बढ़ावा देना।
- **कार्यान्वयन**: यह सूचना और संचार प्रौद्योगिकी क्षेत्र में 5G, ओपन आरएएन, पनडुब्बी केबल, ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क, डेटा सेंटर, स्मार्ट सिटी, ई-कॉमर्स, एआई, और क्वांटम प्रौद्योगिकी जैसी परियोजनाओं का समर्थन करेगा।

भारत में डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना (DPI):

भारत ने इंडिया स्टैक के माध्यम से तीन मुख्य आधारभूत DPI का निर्माण किया:

- **डिजिटल पहचान (आधार)**
- **वास्तविक समय तीव्र भुगतान (यूपीआई)**
- **डेटा साझाकरण वास्तुकला (डेटा सशक्तिकरण और संरक्षण वास्तुकला)**

महत्व:

- **समावेशी विकास**: DPI ने 2018-2023 के दौरान भारत को 80% वित्तीय समावेशन हासिल करने में मदद की और कोविड-19 के दौरान 87% गरीब परिवारों को प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण में सहायता प्रदान की।
- **आर्थिक विकास**: DPI को वित्तीय क्षेत्र में लागू करके देश का आर्थिक विकास 33% तक बढ़ सकता है।
- **उत्सर्जन में कमी**: जलवायु क्षेत्र में DPI का कार्यान्वयन कार्बन ऑफसेट, भूमि मानचित्रण, और मौसम संबंधी जानकारी और निगरानी के माध्यम से उत्सर्जन नियंत्रण को 5-10 वर्षों तक तेज कर सकता है।

सी-295 सैन्य विमान
C-295 Military Aircraft

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज़ ने **वडोदरा, गुजरात** में **टाटा एयरक्राफ्ट कॉम्प्लेक्स** में **सी-295 सैन्य विमान** के निर्माण के लिए भारत की पहली निजी क्षेत्र की **फाइनल असेंबली लाइन (FAL)** का उद्घाटन किया। इस परियोजना का उद्देश्य भारतीय रक्षा उद्योग में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना है, और यह **"मेक इन इंडिया"** पहल का एक महत्वपूर्ण उदाहरण है।

C-295 एयरक्राफ्ट समझौता:

- **करार की राशि**: भारत सरकार ने सितंबर 2021 में स्पेन की **एयरबस डिफेंस एंड स्पेस** के साथ 56 C-295 विमानों के लिए **21,935 करोड़ रुपये** में समझौता किया था।
- **उत्पादन**: इनमें से 40 विमान भारत में टाटा एडवांस लिमिटेड और एयरबस के सहयोग से बनाए जाएंगे, जबकि 16 विमान स्पेन से तैयार स्थिति में आयात किए जाएंगे।
- **आगमन की समयसीमा**:
  - पहला विमान **सितंबर 2023** में भारत पहुंच चुका है।
  - सभी 16 आयातित विमान **अगस्त 2025** तक भारत आ जाएंगे।
  - भारत में पहले C-295 विमान का निर्माण **सितंबर 2026** तक पूरा होने की उम्मीद है, और बाकी 39 विमान **2031** तक तैयार होंगे।

प्रोजेक्ट का महत्व:

- **रोजगार के अवसर**: इस परियोजना के माध्यम से **15,000 उच्च कौशल और 10,000 अप्रत्यक्ष नौकरियों** का सृजन होगा।
- **मेक इन इंडिया**: यह प्रोजेक्ट भारतीय रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देगा।

C-295 एयरक्राफ्ट की विशेषताएं:

- **शॉर्ट टेक-ऑफ और लैंडिंग**: यह विमान **320 मीटर** में टेक-ऑफ और **670 मीटर** में लैंडिंग कर सकता है, जो इसे पहाड़ी इलाकों जैसे लद्दाख, कश्मीर, असम और सिक्किम में आदर्श बनाता है।
- **पेलोड क्षमता**: 7,050 किलोग्राम का पेलोड उठा सकता है और 71 सैनिकों, 44 पैराट्रूपर्स, 24 स्ट्रेचर या 5 कार्गो पैलेट्स को ले जा सकता है।
- **उड़ान समय**: लगातार **11 घंटे** तक उड़ान भरने की क्षमता।
- **आधुनिक कंट्रोल सिस्टम**: क्रू केबिन में टचस्क्रीन कंट्रोल के साथ स्मार्ट कंट्रोल सिस्टम।
- **रैम्प डोर**: पीछे की ओर रैम्प डोर, जो तेज लोडिंग और ड्रॉपिंग में सहायक है।
- **इंजन**: इसमें **दो प्रैट एंड व्हिटनी PW127 टर्बोप्रॉप इंजन** लगे हुए हैं।

जनरेटिव AI केंद्र: श्रीजन
Generative AI Center: Srijan

हाल ही में, **इंडिया AI** और **मेटा** ने **IIT जोधपुर** में **जनरेटिव AI, श्रीजन केंद्र** की स्थापना की घोषणा की है। यह केंद्र भारतीय तकनीकी शिक्षा को नई ऊंचाइयों पर ले जाने का एक महत्वपूर्ण कदम है।

जनरेटिव AI केंद्र के बारे में:

यह केंद्र **ओपन-सोर्स AI** का उपयोग करके और **लार्ज लैंग्वेज मॉडल (LLM)** में संभावनाओं की खोज करके **AI इनोवेटर्स** और **उद्यमियों** की अगली पीढ़ी को पहचानने और उन्हें सशक्त बनाने का कार्य करेगा। इसके अंतर्गत किए गए शोध को **AIसीटीई** और कॉलेजों के साथ सीधे संपर्क के माध्यम से छात्रों के साथ साझा किया जाएगा।

मुख्य गतिविधियाँ:

- **श्रीजन** केंद्र भारत भर में **ओपन-सोर्स LLM** को लागू करने के लिए युवा डेवलपर्स को शामिल करेगा।
- हैकथॉन के माध्यम से स्वदेशी उपयोग के मामलों का पता लगाएगा।
- **चुनिंदा कॉलेजों**, **डेटा लैब्स**, और **ITI** के लिए **मास्टर ट्रेनिंग एक्टिवेशन कार्यशालाएँ** आयोजित करेगा।
- इसमें **LLM** की बुनियादी बातों से छात्रों को परिचित कराकर उनमें रुचि जगाने का प्रयास किया जाएगा।

उद्देश्य:

- युवा डेवलपर्स की पहचान करना और **ओपन सोर्स LLM** के साथ प्रयोग करने वाले छात्र-नेतृत्व वाले स्टार्टअप के निर्माण में सहायता करना।
- देश में **स्वदेशी अनुसंधान पारिस्थितिकी तंत्र** को बढ़ावा देना।
- अगले 3 वर्षों में **1 लाख युवा डेवलपर्स** और उद्यमियों को **AI कौशल** में प्रशिक्षित करना।

मुख्य क्षेत्रों में नवाचार:

- स्वास्थ्य सेवा
- शिक्षा
- कृषि
- स्मार्ट शहर
- स्मार्ट गतिशीलता
- स्थिरता
- वित्तीय और सामाजिक समावेशन

सहयोग: **IIT जोधपुर** के सीओई श्रीजन, **जेनAI अनुसंधान** और प्रौद्योगिकी को आगे बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय और वैश्विक दोनों शैक्षणिक, सरकारी और उद्योग हितधारकों के साथ सहयोग करेगा।

वित्तपोषण: मेटा ने तीन वर्षों की अवधि में **750 लाख रुपये** (दान के रूप में) तक निवेश करने की प्रतिबद्धता जताई है। **इंडिया AI** IIT जोधपुर के सेंटर श्रीजन में स्थापित किए जा रहे सीओई में काम करने वाले शोधकर्ताओं का समर्थन करेगा।

"GET READY FOR A WILD RIDE OF KNOWLEDGE !"

SUBSCRIBE OUR NEW YOUTUBE CHANNEL

ANKIT AVASTHI

Video will be upload soon !

RRB NTPC

TEST SERIES

- 100+ Mock Test
- 78 Sectional Test
- 40+ years PYPs
- 60+ Current affairs

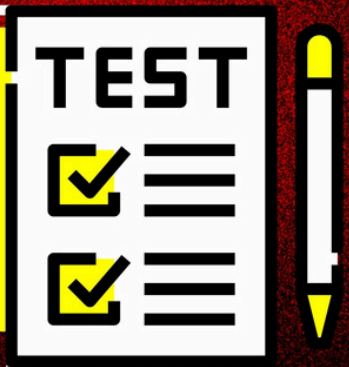

Only 99 Per Year

Buy Now

GA FOUNDATION

Hand Written Notes

Apni Pathshala
एक कदम उज्ज्वल भविष्य की ओर

Ankit Inspires India

₹ Only 1999

4 पुस्तकों का सम्पूर्ण सेट

अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर संपर्क करें....

7878158882

APNI PATHSHALA

UPPSC,RO/ARO,BPSC,UP TEST SERIES

UPPSC
(TEST SERIES)
- 35+ MOCK TESTS
- 40+ PYQ'S
- 180+ TOPIC WISE TEST
- 60+ CURRENT AFFAIRS

299/- YEAR

RO/ARO
(TEST SERIES)
- 50+ MOCK TESTS
- 30+ PYQ'S
- 10+ TOPIC WISE TEST
- 65+ CURRENT AFFAIRS

ONLY 299/- YEAR

BPSC
(TEST SERIES)
- 50+ MOCK TESTS
- 30+ PYQ'S
- 10+ TOPIC WISE TEST
- 65+ CURRENT AFFAIRS

ONLY 299 YEAR

SSC (TEST SERIES)
- 30 MOCK TESTS
- 28+ YEAR PYP
- 12 SECTIONAL TEST
- 60+ CURRENT AFFAIRS

ONLY 99/- YEAR

RPF (TEST SERIES)
- 40 MOCK TESTS
- 2 YEAR PYQ'S
- 4 SECTIONAL TEST
- 10 PRACTICE TEST
- 60 CURRENT AFFAIRS

ONLY 99/- YEAR

Download | Application

Apni Pathshala

7878158882

Apni.Pathshala Avasthiankit

AnkitAvasthiSir kaankit

ANKIT AVASTHI SIR

NCERT COMPLETE

FOUNDATION BATCH

FOR ALL

- POLITY
- ECONOMICS
- HISTORY
- GEOGRAPHY

- DAILY LIVE CLASSES
- , WEEKLY TEST
- CLASSES PDF (HINDI+ENGLISH)
- LIVE DOUBT SESSIONS
- DAILY PRACTISE PROBLEM

Rs 4999/-

Apni Pathshala 7878158882 Apni.Pathshala kaankit AnkitAvasthiSir Avasthiankit

ONLY POLITY

1499 RS

- DAILY LIVE CLASSES
- , WEEKLY TEST
- CLASSES PDF (HINDI+ENGLISH)
- LIVE DOUBT SESSIONS
- DAILY PRACTISE PROBLEM

Apni Pathshala 7878158882 Apni.Pathshala kaankit AnkitAvasthiSir Avasthiankit

SSC TEST SERIES

CGL, CHSL, MTS, CET, CPO, GD,

Stenographer (Grades C & D)

Only at

99/-Year

Enroll Now !